IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ–226001

IS 15700 SQMS

नोटिस

जनपद बरेली की निबन्धित सर्वोदय सहकारी आवास समिति लि. बरेली काफी समय से निष्क्रिय है, उनके निबन्धित पते पर न तो कोई पदाधिकारी मिलता है और न ही वहाँ पर कार्यालय होने का कोई प्रमाण मिलता है। समिति के पदाधिकारियों द्वारा समिति को सक्रिय रूप में संचालित किये जाने में कोई रूचि नहीं है। उक्त सहकारी आवास समिति द्वारा वार्षिक विवरणियाँ, भूमि क्रय–विक्रय, आडिट रिपोर्ट एवं अन्य सूचनाएं भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित नहीं किया है। सम्बन्धित सहकारी अधिकारी (आवास), बरेली द्वारा समिति का निरीक्षण किया गया तथा अवगत कराया गया है कि समिति काफी समय से निष्क्रिय पड़ी है। समिति के पास वर्तमान में कोई भूमि आवंटन हेतु शेष नहीं है न ही भविष्य हेतु कोई योजना ही है। उक्त समिति द्वारा उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं निबंधित उपविधि में वर्णित अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है।

अत: मै डी.के. शुक्ल, अपर आवास आयुक्त /अपर निबंधक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद लखनऊ शासन की अधिसूचना सं. 771/12सी–1– 89–7 (8)/1976 दिनांक 10.08.89 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.11.2010 द्वारा प्रदत्त निबंधक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ.प्र. सहकारी समिति अधियनियम 1965 की धारा 72(2) (ग) (घ) के अधीन सपठित उ.प्र. सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 270 के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि उक्त सहकारी आवास समिति अपना पूर्ण विवरण यथा निबंधित पता, वर्तमान पता, प्रबंध कमेटी के सदस्यों के नाम, सचिव का नाम, भूमि क्रय–विक्रय सम्बन्धी विवरण, सन्तुलन पत्र एवं अन्तिम आडिट नोट का विवरण आदि नोटिस प्रकाशन से 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में समिति अपना सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 72(2)(ग)(घ) के अधीन सपठित उ.प्र.सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 270 के अन्तर्गत उसकी समापन की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी तथा धारा 76 के अन्तर्गत निबंधन निरस्त कर दिया जाएगा।

क्रमांक	समिति का नाम	निबंधन संख्या/दिनॉक
1.	सर्वोदय सहकारी आवास समिति लि. बरेली	2009/23.01.1975

(डी.के.शुक्ल)

अपर आवास आयुक्त/अपर निबंधक